(भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय)

मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग

मुख्यालय, नई दिल्ली

फोन: 011-3918 7000; फैक्स: 011-2464 6988; ईमेल: recruitments@nhb.org.in

ऑटोमेटेड डाटा फ्लो परियोजना हेतु सलाहकार एवं निरीक्षण मैनुअल की समीक्षा के लिये सलाहकार की भर्ती

विज्ञापन सं. : रा.आ.बैंक (नदि)/मा.सं.प्रं/03/2020

आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण: 29.10.2020 से 10.11.2020 तक

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) संसद के एक अधिनियम, अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) के तहत वर्ष 1988 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है। रा.आ.बैंक का अधिदेश आवास वित्त संस्थानों को बढ़ावा देने और ऐसे संस्थानों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में काम करना है। बैंक को आवास वित्त कंपनियों के पर्यवेक्षण का भी कार्य प्रदान किया गया है। आवास वित्त कंपनियों के पर्यवेक्षण का कार्य बैंक द्वारा ऑन-साइट निरीक्षण और ऑफ-साइट निगरानी, बाजार आसूचना और अन्य विनियामकों के साथ समन्वय के माध्यम से किया जाता है।

रा.आ.बैंक आवास वित्त क्षेत्र हेतु वित्तीय एवं संस्थागत ढांचे को बढ़ावा देने के माध्यम से देश में एक मजबूत और स्थिर आवास वित्त प्रणाली की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। है। रा.आ.बैंक खासतौर पर निम्न आय आवास श्रेणी हेतु अभिनव बाजार आधारित समाधानों के विकास और संवर्धन के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

बैंक एक अधिकारी उन्मुख, व्यावसायिक रूप से प्रबंधित संस्थान है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और साथ ही मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलुरु, हैदराबाद, और कोलकाता में कार्यालय हैं। बैंक अपने कार्यकलापों में अनुसंधान, विश्लेषण तथा समसामायिक कार्य व्यवहार एवं तकनीकी को अपनाकर उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना चाहता है। बैंक ने पर्यवेक्षी ढाँचे को मजबूत करने हेतु कई पहलें शुरु की है और इस भर्ती प्रकिया में परिभाषित नियम और शर्तों के अनुसार निरीक्षण मैनुअल और एडीएफ परियोजना की समीक्षा के उद्देश्य से सक्षम और योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन की मांग की है।

राष्ट्रीय आवास बैंक अनुबंध केआधार पर निरीक्षण मैनुअल और एडीएफ परियोजना की समीक्षा केलिए सलाहकार की नियुक्ति हेतु भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंतिरत करता है। अभयर्थी से अनुरोध है कि वे https://nhb.org.in पर दिए गए लिंक केमाधयम से ऑनलाइन आवेदन करें।
1. आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों से यह सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया जाता है कि वे पात्रता की यथा तिथि तक पद हेतु पात्रता मानदंड पूरा करते हैं। 2. अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक जानकारी (आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि का प्रमाण) प्रदान करना अपेक्षित है, प्रदान न करने पर उनकी अभ्यर्थिता को शॉर्टलिस्टिंग/साक्षात्कार हेतु नहीं माना जाएगा।

3. दस्तावेजों के सत्यापन के बिना शॉर्टलिस्टिंग अनंतिम होगी। जब अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करता है (बताया गया है तो) तो मूल के साथ सभी विवरणों/दस्तावेजों के सत्यापन हेतु अधीन होगा।
4. यदि अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और उसकी पात्रता मानदंड (आयु, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि) संतोषजनक नहीं पायी जाती है, तो उसे साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे विवरण और अपडेट (शॉर्टलिस्ट/पात्र अभ्यर्थियों की सूची सहित) के लिए नियमित रूप से बैंक की वेबसाइट https://nhb.org.in देखे। कॉल लेटर/सूचना, जहाँ आवश्यक है, केवल ई-मेल द्वारा भेजी जायेगी (कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी)।
6. एकाधिक अभ्यर्थियों के मामलें में, अंतिम मेरिट सूची (कट-ऑफ अंक पर सामान्य अंक) में कट-ऑफ अंक के समान अंक वाले अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में उनकी आयु के अनुसार मेरिट में रैंक दी जायेगी।
7. आवेदन और अन्य दस्तावेजों की हार्ड कॉपी कार्यालय में भेजना अपेक्षित नहीं है। हालाँकि अभ्यर्थीयों द्वारा आवेदन करने के पश्चात आवेदन की एक प्रति भविष्य हेतु रखी जा सकती है।
8. सभी संशोधन/शुद्धिपत्र केवल बैंक की उपर्युक्त वेबसाइटों पर दिये जाएंगे।

क. पद का विवरण/नियुक्ति की प्रकृति/संविदा अवधि/रिक्ति/आयु/चयन प्रक्रिया/तैनाती स्थान

पद क्रं.सं.	पद नाम	नियुक्ति की प्रकृति	संविदा अविध**	रिक्ति	आयु (वर्षों में) 01.10.2020 तक	चयन प्रकिया	तैनाती स्थान*
1	निरीक्षण मैनुअल की समीक्षा के लिए सलाहकार	संविदागत	6 महीने	1	64 वर्ष से अधिक नहीं	शॉर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार	दिल्ली
2	एडीएफ परियोजना के लिए सलाहकार	संविदागत	6 महीने	1	64 वर्ष से अधिक नहीं	शॉर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार	दिल्ली

टिप्पणी:

1. ऊपर्युक्त उल्लिखित रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और बैंक की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन हो सकता है।
2. ऐसे मामलों में जहां विशिष्ट क्षेत्र में अनुभव अपेक्षित है, प्रासंगिक अनुभव प्रमाणपत्र में विशेषत: यह होना चाहिए कि अभ्यर्थी को उस विशिष्ट क्षेत्र में अनुभव है।
3. बैंक किसी भी समय पूरी तरह से भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार रखता है।
4. ** संतोषजनक प्रदर्शन, आयु और निरंतर आवश्यकता के आधार पर अनुबंध की अवधि 6 महीने की निश्चित अवधि के लिए है।

ख. शैक्षणिक योग्यता और अनुभव का विवरण:

निरीक्षण मैनुअल की समीक्षा के लिए सलाहाकार	
I. पात्रता मानदंड	
(क) आयु	यथा 01.10.2020 को 64 वषर से अधिक नहीं
(ख) अनुभव	अभ्यर्थी को भा.रि.बैंक, नाबार्ड या रा.आ.बैंक से महाप्रबंधक से उच्च रैंक का सेवानिवृत्त अधिकारी होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास विनियमन / पर्यवेक्षण में 3 से 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
(ग) शैक्षणिक योग्यता	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक / स्नातकोत्तर।
II. भुगतान	भुगतान उपलब्धि के आधार पर जारी किया जाएगा, जो निम्नानुसार है: 1. पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) को स्वीकार्य मसौदा मैनुअल प्रस्तुत करने पर भुगतान का 50% 2. बैंक द्वारा मैनुअल की अंतिम स्वीकृति पर भुगतान का 50%
III. संविदा अवधि	06 माह
IV. कार्य प्रोफाइल	1. सलाहकार निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, ऑन-साइट निरीक्षण के लिए निरीक्षण मैनुअल की समीक्षा करेगा (केवल निर्देशात्मक): • आ.वि.कं. के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) की उत्कृष्ट प्रथाओं को शामिल करना • आईएनएस, निरीक्षण फॉर्म, निरीक्षण रिपोर्ट, पर्यवेक्षी रेटिंग, एव निरीक्षण में उपयोग होने वाले अन्य प्रारूपों सहित विभिन्न प्रारूपों की समीक्षा • आ.वि.कं. की चलनिधि स्थिति की निगरानी करना, पर्यवेक्षी ढांचे और कॉरपोरेट अभिशासन की समीक्षा और उसे मजबूत करना, और ऑफ-साइट निगरानी को मजबूत करना – बेसल 3 अनुसार आदि। • आ.वि.कं. द्वारा प्रस्तुत विवरणियों और उनके प्रारूपों की समीक्षा के साथ उनके द्वारा कार्यान्वियित भारतीय लेखांकन मानक • समय-समय पर आ.वि.कं. के लिये भा.रि.बैंक या रा.आ.बैंक द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों / दिशानिर्देशों / परिपत्रों / अधिसूचनाओं या (आ.वि.कं.) पर लागू रा.आ.बैंक अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन

	• अन्य विनियामकों अर्थात भा.रि.बैंक, सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि के साथ समन्वय शामिल करना एवं नियामकों के बीच महत्वपूर्ण जानकारी के आवधिक विनिमय की संभावना की खोज करना। • मैनुअल में लेखापरीक्षकों के अनुपालन पर प्रश्नावली शामिल होनी चाहिए जो निरीक्षण के दौरान सत्यापित की जा सकती है • 1-2 निरीक्षणों के लिए वास्तविक समय के आधार पर निरीक्षण टीम (संशोधित निरीक्षण मैनुअल के आधार पर) के साथ हैंड होल्डींग। 2. बैंक द्वारा निर्णीत कोई अन्य मामला
V. टीए / एचए	दौरे के मामले में टीए / एचए का भुगतान किया जाएगा जैसा कि म.प्र., रा.आ.बैंक की रैंक के अधिकारी पर लागू है।
VI. अवकाश	एक अवकाश प्रति माह
VII. समाप्ति	असाइनमेंट/ अनुबंध को दोनों तरफ से एक महीने के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है।

एडीएफ परियोजना के लिए सलाहकार	
I. पात्रता मानदंड	
(क) आयु	यथा 01.10.2020 को 64 वषर से अधिक नहीं
(ख) अनुभव	अभ्यर्थी को विवरणियों के स्वचालन (विनियामक), डाटा वैश्लेषिकी, एमआईएस प्रणाली, डाटा निगरानी, डाटा भंडार, ऑटोमेटिक डाटा फ्लो आदि परियोजना को संभालना आना चाहिए। एडीएफ परियोजनाओं को करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
(ग) शैक्षणिक योग्यता	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक / स्नातकोत्तर। तकनीकी शिक्षा वांछनीय होगी।
II. भुगतान	भुगतान उपलब्धि के आधार पर जारी किया जाएगा, जो निम्नानुसार है: 1. आईटीडी को स्वीकार्य डाटा प्रारूप प्रस्तुत करने पर भुगतान का 50%

		2. सिस्टम इंटीग्रल और गो लाइव के परामर्श से परीक्षण पर भुगतान का 50%
III.	**संविदा अवधि**	06 माह
IV.	**कार्य प्रोफाइल**	2. सलाहकार निम्नलिखित कार्य करेगा: • रा.आ.बैंक / आ.वि.कं. में संपूर्ण एडीएफ स्वीकृति सह कार्यान्वयन करना • बैंक / आ.वि.कं. में एडीएफ स्वीकृति के लिए लक्ष्य और रोडमैप परिभाषित करना • समकक्ष समूह बैंकों के साथ चर्चा / स्कोप, तकनीकी आवश्यकता और कार्यात्मक आवश्यकता को अंतिम रूप देने के लिए विक्रेताओं को कार्यान्वयित करना • बैंक की एमआईएस / पर्यवेक्षी टीम के साथ समन्वय में परिपूर्ण एडीएफ रिपोर्ट प्रारुपों का विकास • रा.आ.बैंक / आ.वि.कं. में एडीएफ आवश्यकताओं के लिए विनियामक ढांचे पर भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों / परिपत्रों की मैपिंग करना • विशेषकर पर्यवेक्षण और रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए आंतरिक कॉरपोरेट अभिशासन हेतु - प्रबंधन की आवश्यकता को बदलना • एडीएफ कार्यान्वयन के लिए "की जाने वाली" अपेक्षित प्रक्रियाएं तैयार करना • कार्यान्वयन स्कोप और कार्यनीति • रा.आ.बैंक और आ.वि.कं. में एडीएफ खरीद और कार्यान्वयन के लिए आरएफपी दस्तावेज तैयार करना • आ.वि.कं. के साथ समन्वय में आ.वि.कं. के लिए एडीएफ दिशानिर्देश तैयार करना • आ.वि.कं. के लिए कार्यप्रणाली सह स्वीकृति दिशानिर्देश • केंद्रीकृत एमआईएस प्रणाली के लिए अन्य विनियामकों के साथ एकीकरण - विभिन्न विनियामकों के साथ समन्वय में स्कोप सह कार्यान्वयन कार्यनीति तैयार करना 3. बैंक द्वारा निर्णीत कोई अन्य कार्य
V.	**टीए / एचए**	दौरे के मामले में टीए / एचए का भुगतान किया जाएगा जैसा कि म.प्र., रा.आ.बैंक की रैंक के अधिकारी पर लागू है।
VI.	**अवकाश**	एक अवकाश प्रति माह

VII.	समाप्ति	असाइनमेंट/ अनुबंध को दोनों तरफ से एक महीने के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है।

ग. पारिश्रमिक:

पद क्रम सं.	पद नाम	पारिश्रमिक
1	**निरीक्षण मैनुअल की समीक्षा के लिए सलाहकार**	संपूर्ण परियोजना के लिये ₹20,00,000/- का एक समेकित निश्चित पारिश्रमिक (सभी शुल्कों सहित) ।
2	**एडीएफ परियोजना के लिए सलाहकार**	संपूर्ण परियोजना के लिये ₹10,00,000/- का एक समेकित निश्चित पारिश्रमिक (सभी शुल्कों सहित)।

घ. आवेदन कैसे करें: कृपया विवरण हेतु रा.आ.बैंक की वेबसाइट https://nhb.org.in/oppurtunitiesnhb/ देखें।

ङ. साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर:

साक्षात्कार के लिए सूचना/कॉल लेटर ई-मेल द्वारा भेजा जाएगा/बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। **कोई हार्ड कॉपी भेजी नहीं जाएगी।** शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तारीख अलग से सूचित की जायेगी।

च. चयन प्रक्रिया:

चयन शोर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार के आधार पर होगा।

साक्षात्कार: केवल न्यूनतम योग्यता और अनुभव मात्र को पूरा करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए अनिवार्य रूप से बुलाया जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। बैंक शोर्टलिस्टिंग पैरामीटर तय करेगा और उसके बाद, पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी, जैसा कि बैंक द्वारा तय किया गया है, को चुना जाएगा और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने का बैंक का निर्णय अंतिम होगा। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए पते में परिवर्तन/ केंद्र में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

मेरिट सूची: चयन के लिए मेरिट सूची केवल साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी कट-ऑफ अंक (कट-ऑफ पॉइंट पर एक समान अंक) स्कोर करते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को मेरिट में, अवरोही क्रम में उनकी आयु के अनुसार रैंक दी जाएगी। साक्षात्कार में अहर्ता प्राप्त अंक बैंक द्वारा तय किए जाएंगे।

छ. सामान्य सूचना:

(i) पद के लिए आवेदन करने से पूर्व, आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उस पद के लिए निर्धारित तिथि के अनुसार पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करता है और उसके द्वारा प्रस्तुत विवरण सभी मामलों में सही हैं।

(ii) एक बार किए गए आवेदन को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) मूल रूप में सभी सहायक दस्तावेजों (आयु, योग्यता, अनुभव) सहित सभी संलग्नकों के साथ आवेदन प्रपत्र प्रति में विधिवत रूप से भरकर अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार स्थल पर लाया जाना चाहिए, न ला पाने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) हाल के पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ (बिना गहरे रंग के चश्मे) को निर्धारित स्थान पर आवेदन प्रपत्र पर अपलोड किया जाना चाहिए। साक्षात्कार के समय उपयोग हेतु उक्त फोटोग्राफ की पर्याप्त प्रतियां रखी जानी चाहिए।

(v) "यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि आवेदक पात्रता मानदंड पूरा नहीं करता है और/अथवा उसने कोई गलत/झूठी जानकारी प्रस्तुत की है या वह किसी तथ्य (तथ्यों) को छिपाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया जाएगा। यदि इनमें से कोई भी कमियों का नियुक्ति के बाद पता लगाता है, तो उनकी सेवाएं को पूर्वव्यापी प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा"।

(vi) चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति बैंक की आवश्यकता के अनुसार चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित किए जाने के अधीन है। इस तरह की नियुक्ति बैंक में शामिल होने के समय बैंक में इस तरह के पद के लिए बैंक की सेवा और आचरण नियमों के अधीन होगी।

(vii) चयन की स्थिति में, अभ्यर्थियों को नियुक्ति के समय नियोक्ता से मूल में उचित निर्वहन प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी ई-मेल आईडी को पत्राचार अर्थात कॉल लेटर / साक्षात्कार तिथि आदि प्राप्त करने के लिए रखें।

(viii) चयनित अभ्यर्थी, जो पहले से ही सरकारी / अर्ध-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / उपक्रमों में कार्यरत हैं, को ड्यूटी के लिए रिपोर्टिंग करने के समय अपने वर्तमान नियोक्ता से 'मूल में उचित रिलीविंग पत्र' प्रदान करना होगा, न देने पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने की अनुमति दी जायेगी। इसलिए, अभ्यर्थी जो पहले से ही सरकारी / अर्ध-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / उपक्रमों में कार्यरत हैं, उन्हें इस संबंध में अपने वर्तमान नियोक्ता के नियमों / विनियमों के अनुसार रा.आ.बैंक में आवेदन करने से पहले अपने वर्तमान नियोक्ता से पूर्व अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(ix) बैंक किसी भी पत्राचार की प्राप्ति में देरी या गैर-प्राप्ति के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है।

(x) यदि बाद के चरणों में आवेदन में दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदक सिविल/आपराधिक परिणामों के लिए जिम्मेदार होगा।

(xi) अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में सूचित किया जाता है कि वे अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन करें और इंटरनेट या वेबसाइट जाम पर भारी लोड के कारण वेबसाइट पर लॉग इन करने के वियोग/अक्षमता/विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें। रा.आ.बैंक अभ्यर्थियों को रा.आ.बैंक के नियंत्रण के अधीन पूर्वोक्त कारणों या किसी अन्य कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होने के लिये कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।

(xii) "पात्रता, साक्षात्कार के संचालन, अन्य परीक्षणों और चयन से संबंधित सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम और सभी अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में बैंक द्वारा कोई प्रतिनिधित्व या पत्राचार नहीं किया जाएगा"। बैंक अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया की मार्कशीट प्रस्तुत नहीं करता है।

(xiii) जैसा कि साक्षात्कार भर्ती की प्रक्रिया है, केवल पात्रता मानदंडों को पूरा करने से अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया नहीं जाता है। बैंक अभ्यर्थी की योग्यता, उपयुक्तता, अनुभव आदि के संदर्भ में प्रारंभिक स्क्रीनिंग/शॉर्ट-लिस्टिंग के बाद साक्षात्कार के लिए केवल अभ्यर्थियों की अपेक्षित संख्या को कॉल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(xiv) एकल पद के लिए एवं वैयक्तिक द्वारा एकाधिक आवेदन के मामले में, केवल अंतिम वैध (पूर्ण) आवेदन को बरकरार रखा जाएगा। साक्षात्कार में किसी एक पद के लिए अभ्यर्थी द्वारा एकाधिक उपस्थिति पूरी तरह से खारिज/अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

(xv) चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अभ्यर्थियों द्वारा गलत जानकारी औरअथवा प्रक्रिया का उल्लंघन प्रदान कर/ने पर अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में अयोग्य माना जायेगा और उसे भविष्य में बैंक द्वारा आयोजित किसी भी भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि इस तरह के उदाहरण मौजूदा चयन प्रक्रिया के दौरान कम हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चला है, तो इस तरह की अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ होगी।

(xvi) यदि अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य संस्करण में व्याख्या के कारण कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो इस विज्ञापन का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

(xvii) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/अथवा इसके जवाब में आवेदन केवल दिल्ली ही संस्थापित किया जा सकता है एवं दिल्ली में न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/मंचों के पास किसी भी कारण/विवाद का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एकमात्र और अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

(xviii) "बैंक किसी भी स्थिति में भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है"।

ज. पहचान सत्यापन

(i) साक्षात्कार के समय, आधिकारिक लेटरहेड / एक फोटोग्राफ के साथ आधार कार्ड / कर्मचारी आईडी / फोटोग्राफ के साथ बार काउंसिल आइडेंटिटी कार्ड पर जनप्रतिनिधि द्वारा जारी आधिकारिक लेटरहेड / फोटो पहचान प्रमाण पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी मूल के साथ कॉल लेटर और अभ्यर्थी की वर्तमान वैध फोटो पहचान की एक फोटोकॉपी जैसे पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / मतदाता कार्ड / फोटोग्राफ के साथ बैंक पासबुक / फोटो पहचान प्रमाण सत्यापन के लिए डेस्क पर जमा किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी की पहचान को कॉल लेटर पर उसके विवरण के संबंध में सत्यापित किया जाएगा, और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि अभ्यर्थी की पहचान संदेहजनक है, तो अभ्यर्थी को साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

टिप्पणी: अभ्यर्थियों को मूल फोटो पहचान प्रमाण में प्रस्तुत करना होगा और साक्षात्कार में भाग लेने के दौरान साक्षात्कार कॉल लेटर के साथ फोटो पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी जमा करनी होगी, जिसके बिना उन्हें साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि कॉल लेटर पर प्रदर्शित नाम (पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान प्रदान किया गया) फोटो पहचान प्रमाण पर प्रदर्शित नाम के साथ बिल्कुल मेल खाना चाहिए। जिन महिला अभ्यर्थियों ने विवाह के बाद पहले / अंतिम / मध्य नाम में परिवर्तन किया है, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि कॉल लेटर और फोटो पहचान प्रमाण में दिए गए नामों के बीच कोई अंतर है तो अभ्यर्थी को साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने अपना नाम बदल लिया है, उन्हें केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब वे राजपत्र अधिसूचना / अपने विवाह प्रमाण पत्र और शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे।

किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया recruitments@nhb.org.in पर हमसे संपर्क करें

यह विज्ञापन बैंक की वेबसाइट https://nhb.org.in/oppurtunitiesnhb/ पर भी उपलब्ध है।

बैंक मुद्रण त्रुटियों के लिए जिम्मेदार नहीं है, यदि कोई हो।

नई दिल्ली
दिनांक: 28 अक्टूबर, 2020

महाप्रबंधक
मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग

किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी मूलपाठ ही मान्य होगा।